FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Unionterritory) from Amber (047) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SATISH POONIA (Name) 772, JANPATH, RANISATI NAGAR, AJMER ROAD, JAIPUR-302019 (Address) sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur

Date: 11.12.2018

(हिम्मतासह) रिटर्निंग ऑफिसर

अस्तुम्बर्कारिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर विघानसमा क्षेत्रा (047), आनेर

Returning Officer

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो) (सीट पर चुनाव लड गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

आमेर (047) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य संघ राज्य क्षेत्र) के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि

सतीश पूनियां (नाम) 772, जनपथ, राणीसती नगर, अजमेर रोड, जयपुर—302019 (पता) भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान <u>अयि</u>पूर् तारीख <u>॥ । 12 - 18</u> (हिम्मत सिंह) हस्ताक्षरिटर्जिंगा ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर रिटर्नियानक्षाक्षिकाराज्य आकेर